तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्त की तामील मे जारी हुऐ
08.06.2022	वकुलाय फरिकेन उपस्थित। अभिभाषक अपीलान्ट ने दिनांक 25.10.2021 को प्रस्तुत अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सैक्शन 96 सी पी सी पेश किया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के अभिभाषक ने दिनांक 10.05.2022 को जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सैक्शन 96 सी पी सी प्रस्तुत किया। अभिभाषक अपीलान्ट ने दिनांक 23.05.2022 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सैक्शन 151 सी पी सी प्रस्तुत कर प्रस्तुत कर अपील में किसी प्रकार की सुनवाई नही कर पत्रावली स्थगित रखने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलान्ट ने दिनांक 24.05.2022 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑर्डर 1 रूल 10 (2) सी पी सी एवं सैक्शन 151 सी पी सी प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट सं. 1 का नाम स्ट्रक ऑफ करने तथा शिक्षा विभाग व स्कूल के प्रधानाचार्य लौगेवाला का पक्षकार बनाने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के अभिभाषक ने दिनाक 24.05.2022 को जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सैक्शन 151 सी पी सी किया, तथा दिनांक 31.05.2022 को जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑडर 1 रूल 10 (2) सी पी सी एवं सैक्शन 151 सी पी सी प्रस्तुत अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र विशेष कॉस्ट लगाकर खारिज करने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलान्ट ने प्राथमिक कानूनी आपत्ति अन्तर्गत सैक्शन 151 सी.पी सी प्रस्तुत कर सरपंच लौगेवाला का नाम अपील से स्ट्रकऑफ करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्रो पर आज बहस सुनी गई। अपीलान्ट के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑर्डर 1 रूल 10 (2) सी पी सी एवं सैक्शन 151 सी पी सी पर बहस के दौरान कथन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 सरपंच लौगेवाला अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही था, प्रकरण मे हितबद्व पक्षकार शिक्षा विभाग प्रधानाचार्य स्कूल व राजस्थान सरकार है, सरपंच लौगेवाला को भूलवशः व गलत रूप से पक्षकार बना लिया। अतः सरपंच लौगेवाला का नाम स्ट्रक ऑफ किया जावे शिक्षा विभाग व स्कूल के प्रधानाचार्य लौगेवाला को पक्षकार बनाने पर बल नहीं है। अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन मे RRD 2008 पृष्ठ 17–18, RRD 2002 पृष्ठ 130, RRD 2019 पृष्ठ 188, RRD 2011 पृष्ठ 778, सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 पृष्ठ 120 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया। अभिभाषक अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सैक्शन 151 सी पी सी पर बहस के दौरान कथन किया कि प्रकरण में ग्राम लौगेवाला मे माध्यमिक स्कूल हेतु खेल मैदान स्वीकृत हुआ। सरपंच लौगेवाला द्वारा जिला कलक्टर को पत्र लिखा गया कि उक्त खेल मैदान स्कूल से 1.5 किलोमीटर दूर होने से बच्चो को परेशानी होती है इसलिए स्कूल के नजदीक खेल मैदान हेतु भूमि आवटित की जावे। जिला कलक्टर हनुमानगढ ने सरपच की मांग पर स्कूल से 3 किलोमीटर दूर खेल मैदान हेतु भूमि आवटित कर दी। सरपंच लौगेवाला द्वारा वहा पर अवैध रूप से भवन का निर्माण करवा लिया। ग्राम वासियो द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में सरपच व विकास अधिकारी के विरूद्व रिट पेश की । माननीय	

.....लगातार.....

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उच्च न्यायालय ने दिनांक 24.01.2022 को आदेश पारित कर उक्त निर्माण को ध्वस्त करने हेतु जिला कलक्टर को आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्व सरपच ने माननीय सुप्रीम कोर्ट मे अपील पेश की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिनाक 09.05.2022 को मौके व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत रखे जाने का आदेश पारित कर दिया। अतः अतः पत्रावली में किसी प्रकार की सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तक नही की जावे। पत्रावली व अपील स्थगित रखी जावे।

अभिभाषक अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सैक्शन 96 सी पी सी पर बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार था, अपीलान्ट वहा हाजिर भी हुआ था। ग्राम में स्कूल मैदान हेतु भूमि का आवटन सार्वजनिक हित का मामला है, सरपच को कोई समबन्ध नही होता है। अपीलान्ट को धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र देने की जरूरत नही थी, फिर भी अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 96 सी पी सी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, तथा अपीलान्ट का आज भी उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है। इसके साथ अपीलान्ट की अपील को दर्ज रजिस्टर कर स्थगन आदेश भी पारित किया जा चुका है। अतः रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक की आपत्ति खारिज की जावे। अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन मे RRD 1978 पृष्ठ 482, RRD 2016 पृष्ठ 693, RRD 1995 पृष्ठ 179, RRD 1998 पृष्ठ 167, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

रेस्पोडेन्ट सं. 1 के अभिभाषक ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 96 सी पी सी पर बहस के दौरान कथन किया कि अराजी जैर अपील राजस्व रिकार्ड मे आराजीराज दर्ज रही है। आराजीराज भूमि को आदेश जैर अपील से रा.उ.मा. वि. लौगेवाला के खेल मैदान हेतु आवंटन से अपीलान्ट के किन्ही अधिकारो का हनन नही होता है। चक 3 एल.जी.डब्ल्यू के पत्थर नं. 47/284 के किला नं. 10 तादादी 0.253, किला नं. 11 तादादी 0.253, किला नं. 20 तादादी 0.253, किला नं. 21 तादादी 0.253, किला नं. 22 तादादी 0.253, दिनांक 14.02.1983 को अपीलान्ट को उप जिलाधीश हनुमानगढ द्वारा आवंटित की गई। दिनांक 14.02.1983 को अपीलान्ट को किये गये आवटन के अपील गुरदयाल पुत्र गोविन्दसिह द्वारा राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर कैम्प गंगानगर में प्रस्तुत की गई। जिसे दिनांक 20.03.1984 को स्वीकार कर आवटन आदेश दिनांक 14.02.1983 निरस्त कर दिया। आदेश दिनाक 20.03.1984 के विरूद्व राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी प्रस्तुत हुई जो राजस्व मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 17.01.1989 द्वारा खारिज कर दी। आदेश दिनांक 17.01.1989 के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे रिट प्रस्तुत हुई जो आदेश दिनांक 11.8.1997 द्वारा खारिज कर दी। उक्त आदेश के बाद अपीलान्ट ने एक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ मे प्रस्तुत किया जो उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ द्वारा अपने आदेश दिनाक 15.11.1997 द्वारा खारिज कर दिया। दिनाक 15.11.1997 के उक्त आदेश के विरूद्व राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ में अपील प्रस्तुत हुई जिसे आदेश दिनांक 21.02.1998 द्वारा स्वीकार कर उपखण्ड को प्राथमिकता के आधार

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पर आवटन की कार्यवाही करने तथा कब्जाधारियो को बेदखल नही किया जाने का आदेश दिया। दिनांक 21.02.1998 के विरूद्व सरकार द्वारा निगरानी राजस्व मण्डल मे प्रस्तुत की जिसे दिनांक 27.05.2002 को स्वीकार करते हुए राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ का आदेश दिनांक 21.02.1998 निरस्त कर दिया। राजस्व मण्डल के आदेश दिनाक 27.05.2002 के विरूद्व किसी भी पक्षकार ने कोई कार्यवाही नही की गई इसलिए राजस्व मण्डल का आदेश दिनांक 27.05.2002 अंतिम हो गया। राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर कैम्प गंगानगर द्वारा मूल आवंटन आदेश दिनांक 14.02.1983 अपने आदेश दिनांक 20.03.1984 से खारिज कर दिये जाने के बाद आराजी जैर अपील आराजीराज दर्ज है, जिसे अदालत मातहत ने विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए आदेश जैर अपील से आवटन की है जिसे अपीलान्ट के किन्ही अधिकारो पर विपरित प्रभाव नही होता है। अपीलान्ट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नही बनता है। अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सैक्शन 96 सी पी सी खारिज कर अपील अपीलान्ट खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन मे RRD 1960 पृष्ठ 39, RRD 1969 पृष्ठ 192, RRD 1982 पृष्ठ 312–313, AIR 1979 S.C. का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

रेस्पोडेन्ट सं. 1 के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑर्डर 1 रूल 10 (2) सी पी सी एवं सैक्शन 151 सी पी सी बहस के दौरान कथन किया कि अपील के मामलो में पक्षकार हेतु ऑर्डर 42 रूल के प्रावधान लागू होते है, ऑर्डर 1 रूल 10(2) के प्रावधान लागू नहीं होते है। अपीलान्ट ने अपील में ग्राम पंचायत को भूलवश पक्षकार नही बनाकर जानबुझकर पक्षकार बनाया है। अपीलान्ट पत्रावली मे बोगस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को उलझाये रखते हुए एक तरफा तौर पर स्थगन आदेश को कायम रखवाना चाहता है। अपीलान्ट को आराजी जैर अपील राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को आवटन होने की जानकारी थी इसके बावजूद अपील मे कमी रखते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को पक्षकार नही बनाकर केवल ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाया था, अब अपील में मियाद गुजर जाने के बाद ग्राम पंचायत को हटाकर शिक्षा विभाग व प्रधानाचार्य को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 रूल 10 (2) सी पी सी एवं सैक्शन 151 सी पी सी विशेष कॉस्ट लगाकर खारिज किया जावे।

रेस्पोडेन्ट सं. 1 के अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सैक्शन 151 सी पी सी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट ने यह गलत कथन किया कि आराजी जैर अपील व आदेश के संबध में कोई कार्यवाही ना तो उच्च न्यायालय के समक्ष जैरकार है ना ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा एकतरफा तौर पर प्राप्त स्थगन को अनुचित तरिके से कायम रखवाने की नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपील मे अंकित भूमि व उच्च न्यायालय के निर्णय में अंकित भूमि अलग अलग होने के कारण उच्च न्यायालय के निर्णय का आदेश जैर अपील

.....लगातार.....

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पर कोई प्रभाव नही है। धारा 151 सी पी सी के तहत अपील स्थगित रखने का कोई प्रावधान नही है। अपीलान्ट स्वय द्वारा अपील परस्तुत की गई है तथा एकतरफा स्थगन प्राप्त किया गया है और अपीलान्ट स्वय द्वारा ही अपील स्थगित रखने की मांग की जा रही है जो अपील लंबा खीचने के आचरण को स्पष्ट करती है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सैक्शन 151 सी पी सी विशेष कॉस्ट लगाकर खारिज किया जावें।

हमने प्रार्थना पत्रो का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपील अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 24.09.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। सर्वप्रथम धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के संदर्भ में प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना एवं पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में पक्षकार नहीं है किन्तु अपीलान्ट का अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में लम्बे समय तक विधिक कार्यवाही में भाग लिया जाना प्रथम दृष्टया साबित है। इस आधार पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 रूल 10 (2) एवं उसके जवाब बहस एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम पंचायत लौंगेवाला के प्रस्ताव क्रमांक 26 दिनांक 05.03.2020 के अनुसरण में है। राजस्व विभाग व शिक्षा विभाग द्वारा खेल मैदान हेतु भूमि आवंटन करने की कार्यवाही की गई । जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत लौंगेवाला प्रथम दृष्टया हितबद्ध पक्षकार है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 रूल 10 (2) न्यायहित में खारिज किया जाता है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सैक्शन 151 सी.पी.सी. जवाब प्रार्थना पत्र बहस एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला कलक्टर हनुमानगढ़ के द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.09.2021 के क्रम में ग्राम पंचायत लौंगेवाला के पत्र क्रमांक 26 दिनांक 05.03.2020 के अनुसरण में उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के पत्र क्रमांक 431 दिनांक 13.03.2020 के द्वारा जिला कलक्टर हनुमानगढ़ से निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत लौंगेवाला के खेल मैदान को आबादी भूमि में परिवर्तन करने तथा उसकी एवज में विद्यालय से सटी हुई आबादी भूमि को खेल मैदान में परिवर्तन करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे। इस संदर्भ में ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति के द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई। परन्तु ग्राम पंचायत लौंगेवाला द्वारा पत्र क्रमांक 6–10 दिनांक 17.02.2021 को उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा से निवेदन किया गया कि मामला माननीय उच्च न्यायालय में डी.बी. सिविल रिट याचिका नं. 6557/2020 मनवीर सिंह व अन्य बनाम सरकार में श्री सुरेन्द्र थानवी को कोर्ट कमीश्नर नियुक्त किए जाने पर उन्होने प्रस्तावित खेल मैदान की भूमि को उपयुक्त नहीं माना और 3 बीघा भूमि आवंटित करने के सुझाव दिए है। क्योंकि 3 बीघा भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में चक

.....लगातार.....(2)

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

24/2021

3 एलजीडब्ल्यू के पत्थर नं. 48/284 के किला नं. 3 ता 12, 18,23 एवं पत्थर नं. 47/285 के किला नं. 3 ता 7 कुल 3.795 हैक्टेयर(15 बीघा) भूमि रकबा राज उपलब्ध है जो कि विद्यालय से 1.5 कि.मी. दूरी पर है। उक्त प्रस्ताव पर तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा से रिपोर्ट ली गई। जिसके आधार पर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.09.2021 को पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा धारा 151 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि पूर्व खेल मैदान को निरस्त किए बिना ही नवीन खेल मैदान आवंटन करने पर ग्रामवासियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में सरपंच एवं विकास अधिकारी के विरूद्ध रिट पेश की। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 24.01.2022 को अवैध निर्माण को ध्वस्त करने तथा रेस्पोडेन्ट सरपंच के विरूद्ध 50000 रु. का जुर्माना लगाया गया है। इसके विरूद्ध सरपंच द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील पेश की गई। जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय दिनांक 09.05.2022 को मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति रखने एवं दण्डात्मक कार्यवाही जारी रखने के आदेश दिए है। ऐसी स्थिति में जब तक खेल मैदान बाबत माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। पत्रावली बंद रखी जावे। प्रार्थना पत्र के समर्थन में डी.बी. सिविल रिट याचिका नं. 6557/2020 के आदेश दिनांक 24.01.2022 की प्रति प्रस्तुत की साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय एस.एल.ए. नं. 8655/2022 आदेश दिनांक 09.05.2022 की प्रति प्रस्तुत की। जिसके अनुसार अपील के लम्बित रहने के दौरान यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पारित किए गए है। अपने कथन के समर्थन में आर.आर.डी. 2010 पेज 556, आर.आर.डी. 2013 पेज 512 प्रस्तुत किए। जिसका अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि वर्तमान खेल मैदान एवं अपीलाधीन आदेश से स्वीकृत किए गए खेल मैदान का सम्बन्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका नं. 6557/2020 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित एस.एल.ए. 8655/2022 से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में लम्बित एस.एल.ए. नं. 8655/2022 में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश है। इसलिए ऐसी स्थिति में अपीलाधीन खेल मैदान के सम्बन्ध में भी कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है इसलिए अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार करते हुए अपील अपीलान्ट खारिज कर दाखिल दफ्तर की जाती है। माननीय उच्च न्यायालय एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार अपीलान्ट आगामी कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र रहेंगे।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर